

परिशिष्ट 1.1

पार्ट -ए

झारखण्ड राज्य का आँकड़ा (संदर्भ झारखण्ड का परिचय ; पृष्ठ - 1)

| झारखण्ड राज्य का आँकड़ा | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|
| ए. | सामान्य आँकड़ा | | | आँकड़ा |
| क्र.सं. | विवरण | | | |
| 1 | क्षेत्रफल | | | 79714 वर्ग कि.मी. |
| 2 | जनसंख्या | | | |
| | (ए) | 2001 के जनगणना के अनुसार | | 2.69 करोड़ |
| | (बी) | 2010-2011 | | 3.30 करोड़ |
| | (ए) | जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व-325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) | | 338 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| 3 | (बी) | जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व-382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) | | 414 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| 4 | गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या *(बी.पी.एल) (अखिल भारतीय औसत- 27.5%) | | | 40.3 प्रतिशत |
| | साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत- 64.8%) | | | 44 प्रतिशत |
| 5 | साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत- 74.0%) | | | 67.63 प्रतिशत |
| 6 | शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1000 जीवित जन्म) आखिल भारतीय औसत- 50 प्रति 1000 जीवित जन्म | | | 44 |
| 7 | गिनी गुणांक*** | | | |
| | (ए) | ग्रामीण (पूरा भारत -0.30) | | 0.22 |
| | (बी) | शहरी (पूरा भारत -0.37) | | 0.35 |
| 8 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2010-11 | | | 108401 करोड़ |
| 9 | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ./सी.ए.जी.आर (2001-02 से 2010-11) | | झारखण्ड | 9.71 प्रतिशत |
| | | | अन्य सामान्य श्रेणी राज्य | 11.32 प्रतिशत |
| 10 | स.रा.घ.उ./सी.ए.जी. आर. (2001-02 से 2010-11) | | झारखण्ड | 13.34 प्रतिशत |
| | | | अन्य सामान्य श्रेणी राज्य | 14.68 प्रतिशत |
| 11 | जन संख्या वृद्धि (2001 से 2011) | | झारखण्ड | 22.34 प्रतिशत |
| | | | अन्य सामान्य श्रेणी राज्य | 17.56 प्रतिशत |
| ब. वित्तीय आँकड़ा | | | | |
| क्र. सं. | | विवरण | आँकड़ा (प्रतिशत में) | |
| | | सी.ए.जी.आर. | 2001-02 से 2009-10 | |
| | | | अन्य सामान्य श्रेणी राज्य | झारखण्ड |
| | | | 2001-02 से 2010-11 | |
| | | | अन्य सामान्य श्रेणी राज्य | झारखण्ड |
| 1 | ए. | राजस्व प्राप्तियों का | 15.20 | 16.37 |
| 2 | बी. | स्वयं के कर राजस्व का | 14.53 | 13.93 |
| 3 | सी. | गैर कर राजस्व का | 13.87 | 12.93 |
| 4 | डी. | कुल व्यय का | 13.53 | 15.17 |
| 5 | ई. | कुल पूँजीगत व्यय | 22.61 | 17.72 |
| 6 | एफ. | शिक्षा पर राजस्व व्यय का | 12.73 | 15.09 |
| 7 | जी. | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का | 11.97 | 11.56 |
| 8 | एच. | वेतन एवं मजदूरी | 11.45 | 19.11 |
| 9 | आई | पेंशन | 14.09 | 15.94 |

*स्तोतः वित्त लिखे पर आधारित वित्तीय आँकड़ा बी.पी.एल. (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा, 61वें दौर) ** शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.डुलेटिन जनवरी 2011)। आर्थिक आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित एवं *** गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा नवोपचारिक आकलन, 61 वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.)।

गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय वितरण के असमानता को मापता है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आँका जाता है। मूल्य दर शून्य के करीब होने पर इसे एक आदर्श समानता माना जाता है और मूल्य दर एक के नजदीक हो तो इसे आदर्श असमानता माना जाता है।

पार्ट -बी

सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

(संदर्भ कंडिका -1.1 ; पृष्ठ - 1)

सरकारी लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं: (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और वाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे 'राज्य सरकार की संचित निधि' कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

पार्ट -सी

वित्त लेखे की अभिन्यास

(संदर्भ कंडिका -1.1 ; पृष्ठ - 1)

| विवरणी | रूपरेखा |
|--------------|--|
| विवरणी सं. 1 | वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पतियाँ होती हैं जिनका पूंजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती हैं। |
| विवरणी सं. 2 | यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग - संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में बांटा हुआ है। |
| विवरणी सं. 3 | यह विवरणी राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार बाजार ऋण तथा सरकार दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है। |
| विवरणी सं. 4 | यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है। |
| विवरणी सं. 5 | यह प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है। |
| विवरणी सं. 6 | यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष हैं और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। |
| विवरणी सं. 7 | यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी 16 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है। |
| विवरणी सं. 8 | यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के ग्रुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है। |
| विवरणी सं. 9 | सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है। |
| विवरणी सं.10 | वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमय व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है। |
| विवरणी सं.11 | लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियाँ का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है। |
| विवरणी सं.12 | लघु शीर्षों के द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। |
| विवरणी सं.13 | वर्ष 2010-11 के दौरान और अंत में पूंजीगत व्यय का विस्तृत ब्योरा प्रदर्शित करती है। |
| विवरणी सं.14 | वर्ष 2010-11 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्योरा दर्शाती है। |
| विवरणी सं.15 | यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है। |
| विवरणी सं.16 | झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2011 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है। |
| विवरणी सं.17 | यह पूंजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है। |
| विवरणी सं.18 | आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है। |
| विवरणी सं.19 | आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करती है। |

परिशिष्ट 1.2

पार्ट -ए

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ कड़िका -1.1 ; पृष्ठ -1)

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदण्डों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम (**परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी**) एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेतक मानते हुए, बर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा का प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चलों का उत्प्लावकता को एफ़ीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रुझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति (स.रा.घ.उ.)

| | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में) | 66935 | 83950 | 88011 | 97519 | 108401 |
| स.रा.घ.उ. की विकास दर | 9.9 | 25.4 | 4.8 | 10.8 | 11.2 |

स्रोत : सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार

| शब्दावली | गणना का आधार |
|--|--|
| प्राचल की उत्प्लावकता | प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि |
| अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (x) | प्राचल की वृद्धि दर (x)/ प्राचल की वृद्धि दर (Y) |
| वृद्धि की दर (वृ.द.) | $[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$ |
| विकास व्यय | सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें |
| राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज | ब्याज भुगतान/ $[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)] * 100$ |
| ब्याज विस्तार | स.रा.घ.उ.वृद्धि - औसत ब्याज दर |
| मात्रा विस्तार | ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार |
| बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज | प्राप्त ब्याज $[(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष}) / 2] * 100$ |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति |
| प्राथमिक घाटा | राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान |
| वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर) | राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर |

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम के सम्बन्ध में दूरदर्शिता सुनिश्चित करना है। तदनुसार, राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों को जैसा कि उसके अधिनियम और/या नियम में बदल गया, को प्रभावी करने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित अनुश्रवणीय राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं

- दिनांक 31 मार्च, 2009 की समाप्ति पर राजस्व घाटे को घटा कर शून्य करना,
- दिनांक 31 मार्च, 2009 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अधिकतम तीन प्रतिशत तक कम करना
- दिनांक 31 मार्च, 2008 की समाप्ति पर प्राथमिक बचत को अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद से तीन प्रतिशत अधिक करना,
- ऋण में स्वपोषित स्तर पर लाने हेतु व्याज अदागियों को राजस्व प्राप्तियों का 18 से 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना
- राज्य का कुल ऋण पूँजी कुल राजस्व प्राप्ति के 300 प्रतिशत तक होनी चाहिए (वर्ष 2007-08 के अंत तक)
- अन्य महत्वपूर्ण अनुश्रवणीय राजकोषीय लक्ष्य निम्नवत् होंगे
 - राज्य राजस्व के अनुपात में वेतन के प्रतिशत को कम करते हुए 80 प्रतिशत तक लाया जाना
 - दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व और समादेशित राजस्व के अनुपात में गैर व्याज बचनवद्ध राजस्व व्यय को 55 प्रतिशत तक लाया जाना,
 - दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व घाटा के अनुपात को शून्य प्रतिशत तक लाना।

वर्षों जब प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के वित्त पर अकल्पित मांग होगा तो राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा इस धारा में विनिर्दिष्ट अधिसीमा के अतिरिक्त हो सकेगा लेकिन उपर वर्णित कारणों से जो अधिक व्यय होगा वह वास्तविक वित्तीय लागत से अधिक नहीं होगा।

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े

(संदर्भ : कड़िका 1.1, 1.3 एवं 1.7.1; पृष्ठ-1, 6 एवं 24)

(₹ करोड़ में)

| | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| भाग-क प्राप्तियाँ | | | | | |
| 1. राजस्व प्राप्तियाँ | 10010(84) | 12027(86) | 13213(84) | 15118(82) | 18781 (88) |
| i. कर राजस्व | 3189(32) | 3474(29) | 3753(28) | 4500(30) | 5717(30) |
| कृषि आय पर कर | - | - | - | - | - |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2557(80) | 2846(82) | 2996(80) | 3597(80) | 4473(78) |
| राजस्व उत्पाद | 130(4) | 157(5) | 205(6) | 323(7) | 388(7) |
| वाहनों पर कर | 218(7) | 136(4) | 202(6) | 234(5) | 312(6) |
| मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क | 122(4) | 156(4) | 192(5) | 238(5) | 328(6) |
| भू-राजस्व | 36(1) | 26(1) | 53(1) | 41(1) | 131(21) |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 74(2) | 71(2) | 54(1) | 13 | 21 |
| अन्य कर | 52(2) | 82(2) | 51(1) | 54(2) | 64(1) |
| (ii) कर भिन्न राजस्व | 1250(12) | 1601(13) | 1952(15) | 2254(15) | 2803(15) |
| (iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश | 4051(41) | 5110(42) | 5392(41) | 5547(37) | 6154(33) |
| (iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1520(15) | 1842(15) | 2116(16) | 2817(18) | 4107(22) |
| 2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ | - | - | - | - | - |
| 3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली | 16 | 44 | 19 | 22 | 24 |
| 4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1 + 2+ 3) | 10026 | 12071 | 13232 | 15140 | 18805 |
| 5. लोक ऋण प्राप्तियाँ | 1866(16) | 2023(14) | 2437(16) | 3369(18) | 2447(12) |
| आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर) | 1849 | 2009 | 2434 | 3379 | 2315 |
| अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | .. | .. | -- | .. | - |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 17 | 14 | 3 | -10 | 132 |
| 6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5) | 11892 | 14094 | 15669 | 18509 | 21252 |
| 7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ | - | 32 | - | - | -- |
| 8. लोक लेखा प्राप्तियाँ | 4293 | 7013 | 8335 | 8242 | 7721 |
| 9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8) | 16185 | 21139 | 24004 | 26751 | 28973 |
| भाग-ख व्यय/संवीतरण | | | | | |
| 10. राजस्व व्यय | 9064(83) | 10832(77) | 12877(79) | 15128(83) | 17945(86) |
| योजना | 2432(27) | 2980(28) | 3813(30) | 3758(25) | 6004(33) |
| गैर योजना | 6632(73) | 7852(72) | 9064(70) | 11370(75) | 11941(67) |
| सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित) | 3810(42) | 4607(43) | 4924(38) | 6605(44) | 6991(39) |
| सामाजिक सेवायें | 3327(37) | 4257(39) | 5385(42) | 5610(37) | 6707(37) |
| आर्थिक सेवायें | 1925(21) | 1967(18) | 2533 (20) | 2913(19) | 4247(24) |
| सहायता अनुदान एवं अंश दान | 2 | - | 35 | - | - |
| 11. पूँजीगत व्यय | 1461(13) | 2584(19) | 3051(19) | 2703(15) | 2664(13) |
| योजना | 1461(100) | 2558(99) | 3015(99) | 2682(99) | 2621(98) |
| गैर योजना | - | 26(1) | 36(1) | 21(1) | 43(2) |
| सामान्य सेवायें | 72(5) | 108(4) | 176(6) | 112(4) | 120(4) |
| सामाजिक सेवायें | 495(34) | 832(32) | 1355(44) | 825(31) | 682(26) |
| आर्थिक सेवायें | 894(61) | 1644(64) | 1520(50) | 1766(65) | 1862(70) |
| 12. ऋण एवं अग्रिम का संवीतरण | 411(4) | 598(4) | 418(3) | 320(2) | 308(1) |
| 13. कुल (10+11+12) | 10936 | 14014 | 16346 | 18151 | 20917 |
| 14. लोक ऋण का पूनर्भुगतान | 606 | 747 | 863 | 1190 | 1299 |
| आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं | 444(73) | 572(77) | 716(83) | 1068(90) | 1063(82) |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | - | - | 9(1) | - | - |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 162(19) | 175(23) | 138(16) | 123(10) | 236(18) |
| 15. आकस्मिकता से विनियोजन | - | - | - | - | - |
| 16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+ 14 + 15) | 11542 | 14761 | 17209 | 19341 | 22216 |
| 17. आकस्मिकता निधि से संवितरण | 32 | - | - | - | - |
| 18. लोक लेखा संवितरण | 3552 | 6206 | 7185 | 7290 | 7400 |
| 19.राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18) | 15126 | 20967 | 24394 | 26631 | 29616 |
| भाग- ग. घाटा | | | | | |
| 20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (1-10) | 946 | 1195 | 336 | (-)10 | 836 |
| 21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (4-13) | (-)910 | (-)1943 | (-)3114 | (-)3011 | (-)2112 |
| 22. प्राथमिक घाटा (21+23) | 703 | (-)185 | (-)1227 | (-)704 | 116 |
| भाग-घ. अन्य आँकड़े | | | | | |
| 23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित) | 1613 | 1758 | 1887 | 2307 | 2228 |
| 24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता | 1631 | 1266 | 2366 | 2333 | 3122 |
| 25. अर्थोपाय अग्रिम उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन) | 29 | - | - | - | - |
| उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन) | 29 | - | - | - | - |
| उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन) | - | - | - | - | - |
| 26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज | - | - | - | - | - |
| 27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) @ | 66935 | 83950 | 88011 | 97519 | 108401 |
| 28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में) | 19417 | 21615 | 24084 | 27165 | 28655 |
| 29. बकाया प्रतिभूतियों (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित) | 530 | 530 | 500 | 500 | - |
| 30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में) | - | - | - | - | - |
| 31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या | 27 | 25 | 247 | 262 | 167 |
| 32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी | 1489 | 1616 | 1797 | 1466 | 1503 |
| भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक | | | | | |
| I संसाधन संग्रहण | | | | | |
| स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ. | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.3 |
| स्वयं के कर भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ. | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| केंद्रीय अंतरण/स.रा.घ.अ. | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.5 |
| II व्यय प्रबंध | | | | | |
| कुल व्यय स.रा.घ.अ. | 16.3 | 16.7 | 18.6 | 18.6 | 19.3 |
| कुल व्यय/ राजस्व प्राप्ति | 109.3 | 116.5 | 123.7 | 120.1 | 111.4 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 82.9 | 77.3 | 78.8 | 83.3 | 85.8 |
| सामाजिक सेवा पर व्यय/कुल व्यय | 35.5 | 36.8 | 41.7 | 35.8 | 35.3 |
| आर्थिक सेवा पर व्यय/कुल व्यय | 28.9 | 29.4 | 26.9 | 27.2 | 30.5 |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 13.4 | 18.4 | 18.7 | 14.9 | 12.7 |
| सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय | 12.7 | 17.7 | 17.6 | 14.3 | 12.2 |

| III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंध | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| राजस्व घाटा आधिक्य/स.रा.घ.उ. | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 00 | 0.8 |
| राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ. | -1.4 | -2.3 | -3.5 | -3.1 | -1.9 |
| प्राथमिक घाटा/आधिक्य/स.रा.घ.उ. | 1.1 | -0.2 | -1.4 | -0.7 | 0.1 |
| राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. | -104.1 | -61.5 | -10.8 | -0.3 | -39.6 |
| प्राथमिक राजस्व असंतुलन/स.रा.घ.उ. | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 |
| IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध | | | | | |
| राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ. | 29.0 | 25.7 | 27.4 | 27.9 | 26.4 |
| राजकोषीय दायित्व/अ.अ. | 194.0 | 179.7 | 182.3 | 179.7 | 152.6 |
| प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा | 899 | 3087 | -1966 | -270 | 980 |
| ऋण निर्माचन (मलधन + ब्याज) /कुल ऋण प्राप्ति | - | - | 5.4 | 3.1 | 4.3 |
| V अन्य राजकोषीय स्वस्थ सूचक | | | | | |
| निवेश पर आय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.40 |
| चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में) | 2117 | 2890 | 2625 | 2077 | 4014 |
| वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व | 73 | 81 | 84 | 85 | 89 |

कोष्ठक में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से अनुपात (पूर्णांक) दर्शाता है।
 @ स.रा.घ.उ. का अंक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

परिशिष्ट 1.4

पार्ट -ए

वर्ष 2010-11 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ : कडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

| प्राप्तियाँ | | | संवितरण | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|----------|----------|--|----------|---------|----------|----------|
| 2009-10 | | 2010-11 | 2009-10 | | गैर योजना | योजना | कुल | 2010-11 | |
| अनुभाग क : राजस्व | | | | | | | | | |
| 15118.47 | I. राजस्व प्राप्तियाँ | | 18781.12 | 15128.24 | I. राजस्व व्यय | 11940.93 | 6003.81 | 17944.74 | 17944.74 |
| 4500.12 | कर राजस्व | 5716-63 | | 6605.36 | सामान्य सेवाएं | 6826.24 | 128.56 | 6990.80 | |
| | | | | 5610.30 | सामाजिक सेवाएं | 3304.56 | 3402.74 | 6707.30 | |
| 2254.15 | कर भिन्न राजस्व | 2802-89 | | 3170.93 | शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति | 2356.83 | 1445.43 | 3802.26 | |
| | | | | 599.83 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 481.08 | 192.84 | 673.92 | |
| 5547.57 | संघीय करों में राज्य के हिस्से | 6154-35 | | 294.17 | जलापूर्ति स्वच्छता, आवास और नगर विकास | 252.62 | 184.87 | 437.49 | |
| | | | | 33.78 | सूचना एवं प्रसारण | 20.69 | 7.46 | 28.15 | |
| 1145.33 | गैर योजना अनुदान | 1281-40 | | 326.64 | अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 79.66 | 356.67 | 436.33 | |
| 982.97 | राज योजना हेतु अनुदान | 1826-99 | | 113.54 | श्रम एवं श्रम कल्याण | 41.75 | 92.00 | 133.75 | |
| | | | | 1054.31 | सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार | 54.48 | 1123.47 | 1177.95 | |
| 688.33 | केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान | 998-86 | | 17.10 | अन्य | 17.45 | | 17.5 | |
| | | | | 2912.38 | आर्थिक सेवाएं | 1773.96 | 2472.51 | 4246.47 | |
| | | | | 632.29 | कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप | 301.98 | 519.01 | 820.99 | |
| | | | | 744.90 | ग्रामीण विकास | 461.54 | 1216.74 | 1678.28 | |
| | | | | - | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | -- | | -- | |
| | | | | 262.60 | सिंचाई एवं वाढ नियंत्रण | 264.10 | | 264.10 | |
| | | | | 463.17 | ऊर्जा | 451.30 | 83.87 | 535.17 | |
| | | | | 173.57 | उद्योग एवं खनिज | 39.57 | 86.24 | 125.81 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---------|----------|--|----------|---------|----------|----------|
| | | | | 335.33 | परिवहन | 196.27 | 6.00 | 202.27 | |
| | | | | | विज्ञान तकनीकि एवं पर्यावरण | - | - | - | |
| | | | | 300.52 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 59.20 | 560.65 | 619.85 | |
| | | | | 0.20 | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 0.17 | -- | 0.17 | |
| | | | | 15128.24 | कुल | 11940.93 | 6003.81 | 17944.74 | 17944.74 |
| | | | | (-)9.77 | II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य | | | | 836.38 |
| 15118.47 | कुल | 18781-12 | | 15118.47 | कुल | | | | 18781.12 |
| अनुभाग ख | | | | | | | | | |
| 637.52 | III आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित | | 640.91* | | III रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट | -- | -- | -- | -- |
| | IV विविध पूंजीगत प्राप्तियां | | | 2703.04 | IV पूंजीगत परिव्यय | 43.33 | 2620.97 | 2664.30 | 2664.30 |
| | | | | 112.61 | सामान्य सेवाएं | 43.33 | 76.71 | 120.04 | |
| | | | | 824.50 | सामाजिक सेवाएं | -- | 681.88 | 681.88 | |
| | | | | 98.24 | शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति | -- | 54.20 | 54.20 | |
| | | | | 84.87 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | -- | 142.68 | 142.68 | |
| | | | | 583.31 | जलापूर्ति स्वच्छता, आवास और नगर विकास | -- | 297.48 | 297.48 | |
| | | | | - | सूचना एवं प्रसारण | -- | -- | -- | |
| | | | | 58.08 | अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | -- | 187.52 | 187.52 | |
| अनुभाग ख अन्य (निष्कर्ष) | | | | | | | | | |
| | | | | | सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार | -- | -- | -- | |
| | | | | | अन्य | -- | -- | -- | |
| | | | | 1765.92 | आर्थिक सेवाएं | -- | 1862.38 | 1862.38 | |
| | | | | 6.41 | कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप | -- | 22.64 | 22.64 | |
| | | | | 690.81 | ग्रामीण विकास | -- | 593.87 | 593.87 | |
| | | | | | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | -- | -- | -- | |
| | | | | 205.23 | सिंचाई एवं वाढ | -- | 267.79 | 267.79 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|--|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | नियंत्रण | | | | |
| | | | | - | ऊर्जा | - | - | - | - |
| | | | | 1.00 | उद्योग एवं खनिज | -- | 1.10 | 1.10 | |
| | | | | 845.27 | परिवहन | -- | 971.93 | 971.93 | |
| | | | | 17.20 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | -- | 5.05 | 5.05 | |
| | | | | 2703.04 | कुल | -- | 2620.97 | 2664.30 | |
| 21.79 | V ऋण एवं अग्रिम का वसूली | | 24.12 | 319.98 | V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण | 136.84 | 170.72 | 307.56 | 307.56 |
| | विद्युत परियोजना से | - | | 245.82 | विद्युत परियोजना को | 107.56 | 167.87 | 275.43 | |
| 21.01 | सरकारी सेवको से | 20.79 | | 12.29 | सरकारी सेवको को | 11.63 | -- | 11.63 | |
| 0.78 | अन्य से | 3.33 | | 61.87 | अन्य को | 17.65 | 2.85 | 20.50 | |
| 335.94 | VI नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य | | 836.38 | | VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा | -- | -- | -- | |
| 3369.44 | VII लोक ऋण प्राप्तियाँ | | 2446.51 | | VII लोक ऋण पुर्नभुगतान | | | | 1299.43 |
| | वाह्य ऋण | | | | वाह्य ऋण | -- | -- | -- | |
| 3379.47 | अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण | 2314.56 | | 1067.61 | अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण | -- | -- | 1063.17 | |
| | अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन | - | | 8.86 | अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन | | | | |
| | ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | - | | | | | | | |
| (-10.03) | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 131.95 | | 122.60 | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पूर्णभुगतान | | | 236.26 | |
| | VIII आकस्मिकता नीधि विनियोग | - | | | VIII आकस्मिकता नीधि विनियोग | -- | -- | -- | |
| | IX आकस्मिकता नीधि में स्थानान्तरित राशि | - | | | IX आकस्मिकता नीधि से व्यय | -- | -- | -- | |
| 8241.68 | X लोक लेखा प्राप्ति | | 7721.42 | 7290.30 | X लोक लेखा संवितरण | | | | 7399.85 |
| 686.66 | लघु बचत एवं भविष्य निधि | 571.73 | | 414.27 | लघु बचत एवं भविष्य निधि | | | 467.08 | |
| 489.36 | रक्षित निधि | 0.31 | | 175.98 | रक्षित निधि | | | 223.50 | |
| 303.82 | उचन्त एवं विविध | 181.39 | | 171.88 | उचन्त एवं विविध | | | 211.63 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|-----------------|-----------------|--|----|----|-----------|-----------------|
| 2612.36 | प्रेषण | 3298.20 | | 2651.19 | प्रेषण | | | 3291.70 | |
| 4149.48 | जमा एवं अग्रिम | 3669.79 | | 3876.98 | जमा एवं अग्रिम | | | 3205.94 | |
| | अंतरराज्यीय समायोजन | | 1.39 | | अंतरराज्यीय समायोजन | | | -- | |
| | XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष | | | 757.13 | XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष | | | | (-0.41) |
| | | | | - | कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण | -- | -- | -- | |
| | | | | (-753.09) | रिजर्व बैंक में जमा | | | (-891.38) | |
| | | | | 34.61 | अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष | | | 11.78 | |
| | | | | 116.22 | बिन्दित निधि का निवेश | | | -- | |
| | | | | 1359.39 | रोकड़ का निवेश | | | 879.19 | |
| 12270.43 | कुल | | 30451.85 | 12270.43 | कुल | | | | 30451.85 |

*आपदा राहत कोष से निवेशित तथा प्रारंभिक रोकड़ शेष में सम्मिलित ₹ 116.22 करोड़ को राज्य आपदा कोष के प्रारंभिक शेष में स्थानांतरित किया गया। अतः प्रारंभिक कोष घट कर ₹ 640.91 करोड़ हो गया।

परिशिष्ट 1.4

पार्ट-बी

31 मार्च 2011 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ : कंडिका 1.7.1 पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2010 को | दायित्व | 31.03.2011 को |
|-----------------|--|-----------------|
| 19880.00 | अन्तरिक ऋण | 21131.39 |
| 7647.11 | ब्याज वाले बाजार ऋण | 7845.07 |
| 0.17 | ब्याज रहित बाजार ऋण | 0.17 |
| 6.30 | जि.वि.नी. से ऋण | 6.30 |
| 3126.42 | अन्य संस्थाओं से ऋण | 3223.35 |
| - | अर्थोपाय अग्रिम | -- |
| 9100.00 | केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ | 10056.50 |
| - | रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट | -- |
| 2271.51 | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 2167.20 |
| 1.32 | 1984-85 के पूर्व कार्य ऋण | 1.33 |
| 15.32 | गैर योजना ऋण | 12.06 |
| 2218.61 | राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण | 2118.67 |
| 1.42 | केन्द्र योजनागत योजना हेतु ऋण | 1.24 |
| 20.30 | केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु ऋण | 19.36 |
| 14.54 | अन्य अर्थोपाय अग्रिम | 14.54 |
| | अन्तर्राज्यीय समायोजन | 1.39 |
| 150.00 | आकस्मिकता निधि | 150.00 |
| 1353.41 | लघु बचत भविष्य निधि | 1458.06 |
| 2888.68 | जमा | 3350.17 |
| 887.63 | रक्षित निधि | 548.22 |
| | अंतरण शेष | -- |
| 34.58 | उचंत एवं विविध शेष | 4.33 |
| 27465.81 | कुल | 28810.76 |
| | सम्पति | |
| 15707.25 | अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय | 18371.55 |
| 47.62# | कंपनियों, निगम आदि के शेयर में निवेश | 54.07# |
| 15659.63 | अन्य पूँजीगत परिव्यय | 18317.48 |
| 6713.02 | ऋण एवं अग्रिम | 6996.47 |
| 6143.13 | शक्ति परियोजना के लिए ऋण | 6418.56 |
| 562.53 | अन्य विकास ऋण | 579.71 |
| 7.36 | सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण | (-1.80) |
| 11.74 | अग्रिम | 9.38 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------------|
| | उचंत एवं विविध शेष | | - |
| 757.13 | नगद | - | (-)0.41 |
| | कोषागर में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण | | |
| (-)753.09 | रिजर्व बैंक में जमा | (-)891.39 | |
| 116.22 | जमा निधि का निवेश | | |
| 34.61 | विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ | 11.79 | |
| 1359.39 | नगद शेष निवेश | 879.19 | |
| 293.81 | प्रेषण शेष | | 287.30 |
| 3982.86 | सरकारी लेखे में घाटा | | 3146.47 |
| (-)9.77 | (i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा | 836-38 | |
| - | (ii) विविध घाटा | - | |
| 3973.09* | वर्ष के शुरूआत में संचय घाटा/आधिक्य | 3982.85 | |
| 27465.81 | | | 28810.76 |

राजस्व लेखा से निगमों के खाते में निवेशित ₹ 5.75 करोड़ को छोड़ कर जिन्हें स्रोत के अनुपलब्धता के कारण लेखे में नहीं लिया गया।

* अन्तर्राज्यीय समायोजन (₹145.87 करोड़) संचय घाटा में सम्मिलित।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार आँकड़ों में विचलन या ह्रास वाली मदें इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विवध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। लेखे में प्रतिविम्बित आँकड़ों और 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़े जो समाशोधन की प्रक्रिया में था, के बीच ₹ 101.06 करोड़ (निवल खाता) का अंतर था।

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत
से अधिक अनुदानों / विनियोग की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.1 पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान सं. | अनुमान विनियोजन का नाम | कुल | बचत | प्रतिशत |
|---------------|------------|---|--------|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजस्व | | | | | |
| 1 | 1 | कृषि विभाग | 466.23 | 181.21 | 38.87 |
| 2 | 2 | पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | 211.15 | 46.11 | 21.84 |
| 3 | 6 | चुनाव | 36.79 | 15.06 | 40.94 |
| 4 | 10 | ऊर्जा विभाग | 892.94 | 346.05 | 38.75 |
| 5 | 19 | वन एवं पर्यावरण विभाग | 291.04 | 68.35 | 23.48 |
| 6 | 20 | स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग | 842.67 | 178.41 | 21.17 |
| 7 | 24 | सूचना और जन संपर्क विभाग | 34.70 | 8.29 | 23.89 |
| 8 | 25 | संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग | 3.48 | 2.17 | 62.36 |
| 9 | 35 | योजना एवं विकास विभाग | 30.17 | 14.01 | 46.44 |
| 10 | 43 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 126.29 | 51.83 | 41.04 |
| 11 | 46 | पर्यटन विभाग | 8.01 | 4.03 | 50.31 |
| 12 | 47 | परिवहन विभाग | 82.81 | 53.39 | 64.47 |
| पूँजी | | | | | |
| 13 | 3 | भवन निर्माण विभाग | 75.70 | 26.41 | 34.89 |
| 14 | 10 | ऊर्जा विभाग | 408.00 | 132.57 | 32.49 |
| 15 | 20 | स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग | 229.29 | 86.61 | 37.77 |
| 16 | 22 | गृह विभाग | 181.01 | 101.74 | 56.21 |
| 17 | 36 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 345.07 | 77.82 | 22.55 |
| 18 | 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 832.00 | 236.62 | 28.44 |
| 19 | 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 67.30 | 27.38 | 40.68 |
| 20 | 44 | माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग | 8.61 | 5.62 | 65.27 |
| 21 | 46 | पर्यटन विभाग | 19.55 | 14.50 | 74.17 |
| 22 | 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 693.97 | 657.39 | 94.73 |
| 23 | 49 | जल संसाधन विभाग | 382.00 | 153.71 | 40.24 |
| 24 | 50 | लघु सिंचाई विभाग | 122.20 | 29.80 | 24.38 |
| 25 | 51 | कल्याण विभाग | 275.51 | 109.52 | 39.75 |
| 26 | 52 | कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग | 43.15 | 31.87 | 73.86 |

परिशिष्ट 2.2

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ कंडिका 2.4.4 पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अनुपात/ विनियोता की संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम | आधिक्य राशि | लोक लेखा समिति की कार्य का चरण |
|------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 2001-02 | 32 | विधायिका | 0.04 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2002-03 | 10 | ऊर्जा विभाग | 7.00 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2002-03 | 13 | ब्याज भुगतान | 472.46 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2002-03 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 761.96 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2002-03 | 32 | विधायिका | 0.08 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2003-04 | 10 | ऊर्जा विभाग | 9.63 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2003-04 | 13 | ब्याज भुगतान | 191.28 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2003-04 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 674.72 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2003-04 | 39 | सहायक और पुनर्वास विभाग | 61.33 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2003-04 | 46 | पर्यटन विभाग | 0.29 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2004-05 | 13 | ब्याज भुगतान | 365.80 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2004-05 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 133.44 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2004-05 | 23 | उद्योग विभाग | 7.49 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2004-05 | 39 | सहायक और पुनर्वास विभाग | 69.34 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2005-06 | 10 | ऊर्जा विभाग | 2628.94 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2005-06 | 13 | ब्याज भुगतान | 492.53 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2006-07 | 13 | ब्याज भुगतान | 833.58 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2006-07 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 412.28 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2007-08 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 229.64 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2007-08 | 15 | पेंशन | 104.80 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2008-09 | 12 | वित्त विभाग | 137.13 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2008-09 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 91.76 | कोई कार्रवाई नहीं |
| 2009-10 | 14 | कर्ज का पुनर्भुगतान | 116.71 | * |
| कुल | | | 7802.23 | |

*सूचना उपलब्ध नहीं ।

परिशिष्ट 2.3

मामलें जहाँ अनुपूरक अनुदान (₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सावित हुआ
(संदर्भ कंडिका 2.4.6 पृष्ठ 38)

(₹ हजार में)

| क | अनुदान का नाम एवं संख्या राजस्व (भारित) | मूल प्रावधान | वास्तविक खर्च | मूल प्रावधान से बचत | अनुपूरक प्रावधान |
|----|--|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1 | 34-झारखण्ड लोक सेवा आयोग | 40531 | 29096 | 11435 | 2000 |
| | कुल राजस्व (भारित) | 40531 | 29096 | 11435 | 2000 |
| | राजस्व (दत्तमत) | | | | |
| 2 | 1-कृषि विभाग | 4605888 | 2850179 | 1755709 | 56372 |
| 3 | 2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | 2023739 | 1650367 | 373372 | 87762 |
| 4 | 4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग | 171387 | 133268 | 38119 | 35203 |
| 5 | 6- निर्वाचन | 312928 | 217280 | 95648 | 55000 |
| 6 | 10-ऊर्जा विभाग | 7427135 | 5468937 | 1958198 | 1502263 |
| 7 | 11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 136773 | 135913 | 860 | 8435 |
| 8 | 19-वन एवं पर्यावरण विभाग | 2603184 | 2226832 | 376352 | 307194 |
| 9 | 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 8004543 | 6642597 | 1361946 | 422135 |
| 10 | 23- उद्योग विभाग | 1461343 | 1448384 | 12959 | 305967 |
| 11 | 24 - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 327860 | 264117 | 63743 | 19132 |
| 12 | 26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 7263490 | 6351235 | 912255 | 572180 |
| 13 | 35- योजना एवं विकास विभाग | 201302 | 161565 | 39737 | 100350 |
| 14 | 40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 2191790 | 2158698 | 33092 | 246356 |
| 15 | 43- विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग | 830248 | 744627 | 85621 | 432629 |
| 16 | 47 परिवहन विभाग | 825353 | 294217 | 531136 | 2767 |
| 17 | 49- जल संसाधन विभाग | 2246286 | 2082943 | 163343 | 146502 |
| 18 | 51- कल्याण विभाग | 12515884 | 10797359 | 1718525 | 369821 |
| | कुल (दत्तमत) | 53149133 | 43628518 | 9520615 | 4670068 |
| | कुल राजस्व | 53189664 | 43657614 | 9532050 | 4672068 |
| | पूंजी (भारित) | | | | |
| 19 | 14- ऋण की वापसी आदायगी | 15056717 | 12994268 | 2062449 | 384064 |
| | कुल पूंजी (भारित) | 15056717 | 12994268 | 2062449 | 384064 |
| | कुल (दत्तमत) | | | | |
| 20 | 10- ऊर्जा विभाग | 3880000 | 2754338 | 1125662 | 200000 |
| 21 | 12-वित्त विभाग | 122000 | 116320 | 5680 | 5000 |
| 22 | 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 2188199 | 1426814 | 761385 | 104738 |
| 23 | 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 3000000 | 2672485 | 327515 | 450680 |
| 24 | 41- पथ निर्माण विभाग | 6974000 | 6707463 | 266537 | 1200453 |
| 25 | 42-ग्रामीण विकास विभाग | 6320000 | 5953838 | 366162 | 2000000 |
| 26 | 48- नगर विकास एवं आवास विभाग | 6871906 | 365845 | 6506061 | 67798 |
| 27 | 51- कल्याण विभाग | 2287600 | 1659952 | 627648 | 467547 |
| | कुल पूंजी (दत्तमत) | 31643705 | 21657055 | 9986650 | 4496216 |
| | कुल पूंजी | 46700422 | 34651323 | 12049099 | 4880280 |
| | सकल योग | 99890086 | 78308937 | 21581149 | 9552348 |

परिशिष्ट 2.4

निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग (संदर्भ: कांडिका - 2.4.7; पृष्ठ 38)

(₹ लाख में)

| क्र.सं | अनुदान की संख्या | विवरण | लेखा शीर्ष | वृद्धि पुनर्विनियोग | कमी पुनर्विनियोग | बचत (-)/ अधिव्य (+) |
|--------|------------------|---|----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 6 | राज्य विधान सभा का उपचुनाव | 2015-106-03 | 52.59 | 0 | -9.99 |
| 2 | 12 | भविष्य निधि खाता (मुख्यालय) | 2052-090-10 | 8.85 | 0 | -6.70 |
| 3 | 20 | अंधापन रोकथाम कार्यक्रम | 2210-06-101-06 | 27.53 | 0 | -7.17 |
| 4 | 22 | जिला कार्यकारिणी बल | 2055-109-01 | - | 6.00 | +1.75 |
| 5 | 23 | अधीक्षण | 2852-80-001-04 | - | 6.14 | +1.02 |
| 6 | 26 | शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन | 2230-01-103-01 | 17.27 | 0 | -3.22 |
| 7 | 36 | सरकारी भवन में जलापूर्ति | 2215-02-105-01 | - | 17.29 | +1.56 |
| 8 | 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 2052-00-090-17 | 5.00 | 0 | -4.81 |
| 9 | 41 | राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजना स्कंध अधीक्षण | 3054-80-001-07 | 4.47 | 0.35 | -6.26 |
| 10 | 48 | राज्य स्तरीय शहरी प्रशासन निदेशालय | 2217-80-001-01 | 0.80 | 0 | -10.38 |
| 11 | 51 | पहाड़िया का व्यवसायिक शिक्षा | 2225-02-796-05 | 18.00 | 0 | -18.06 |
| | | कुल | | 134.51 | 29.78 | -62.26 |

परिशिष्ट 2.5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण अभ्यर्पण की संवीक्षा का निष्कर्ष
(संदर्भ कंडिका 2.4.8 पृष्ठ 39)

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | अनुदान की सं. एवं शीर्ष | योजना का नाम (लेखों का शीर्ष) | प्रावधान | अभ्यर्पित राशि (₹ लाख में) | अभ्यर्पित राशि का प्रतिशत |
|----------|---------------------------------------|--|----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | | 2401-00-114-04- तेलहन विकास कार्यक्रम (योजना) | 75.00 | 75.00 | 100 |
| 2 | | 2401-00-789-48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना) | 400.00 | 377.66 | 94 |
| 3 | | 2401-00-796-03 बीज उत्पादन | 70.00 | 70.00 | 100 |
| 4 | | 2401-00-796-12 तेलहन उत्पादन | 85.00 | 84.35 | 99 |
| 5 | | 2401-00-796-16 बाजरा खेती का विकास | 54.00 | 54.00 | 100 |
| 6 | | 2401-00-796-43 पाइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना) | 110.00 | 106.35 | 97 |
| 7 | | 2401-00-796-48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना) | 1100.00 | 977.02 | 89 |
| 8 | | 2401-00-800-48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना) | 600.00 | 544.36 | 91 |
| 9 | | 2415-80-796-10 दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 10 | | 4401-00-796-05 दुमका में कृषि प्रौद्योगिकी पार्क के अन्तर्गत ट्रेनिंग सेंटर का एक्सटेंशन | 120.00 | 120.00 | 100 |
| 11 | 2-पशुपालन विभाग | 2404-00-102-04 ग्रामीण दुग्ध (योजना) | 75.00 | 68.83 | 92 |
| 12 | | 2404-00-102-28 चारगाह विकास (योजना) | 93.50 | 93.50 | 100 |
| 13 | | 2404-00-102-29 फोडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट | 63.75 | 63.75 | 100 |
| 14 | 4-मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग | 2070-00-800-11 झारखण्ड स्थापना दिवस समारोह (गैर योजना) | 100.00 | 80.00 | 80 |
| 15 | 9-सहकारिता विभाग | 2425-00-107-35 प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना) | 960.00 | 921.90 | 96 |
| 16 | | 2425-00-789-04 प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना) | 620.00 | 594.60 | 96 |
| 17 | | 2425-00-789-18 किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 18 | | 2425-00-796-27 प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु | 1580.00 | 1475.91 | 93 |

| | | अनुदान (योजना) | | | |
|----|--|---|----------|----------|-----|
| 19 | 10- ऊर्जा विभाग | 2801-02-800-01 तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को एक्वीटी अनुदान (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 20 | | 2801-01-796-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान (के.प्र.यो.) | 1368.40 | 1368.40 | 100 |
| 21 | | 2801-01-800-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान (के.प्र.यो.) | 1611.33 | 1611.33 | 100 |
| 22 | | 2801-80-800-07 सलाह एवं अन्य कार्य (नई तकनीक के साथ) जे.एस.ई.बी.की कंपनियों को सहायतार्थ अनुदान (योजना) | 21000.00 | 21000.00 | 100 |
| 23 | | 2801-80-800-08 सलाह एवं अन्य कार्य (नई तकनीक के साथ) ऊर्जा एफीसिएन्सी तथा कंजरवेशन/सलाहकार एवं अन्य कार्य- अनुदान (योजना) | 340.00 | 340.00 | 100 |
| 24 | | 6801-00-789-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम - सी.एस.एस. योजना | 420.28 | 420.28 | 100 |
| 25 | | 6801-00-796-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम - सी.एस.एस. योजना | 1368.40 | 1368.40 | 100 |
| 26 | | 6801-00-796-06 झारखण्ड राज्य जल विद्युत अग्रीम (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 27 | | 6801-00-800-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम- (योजना) | 1611.33 | 1611.33 | 100 |
| 28 | | 6801-00-789-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम- (योजना) | 420.28 | 420.28 | 100 |
| 29 | 12- वित्त विभाग | 2052-00-090-02 13वीं वित्त आयोग के आलोक में पेंशनर्स कर्मचारियों का डाटा बेस | 250.00 | 250.00 | 100 |
| 30 | 14- ऋण का | 6003-00-106-02 जमीनदारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूर्ति बाँड (गैर योजना) | 225.00 | 212.11 | 94 |
| 31 | | 6003-00-109-08 बिहार राज्य सहकारिता लाह बजार फंडरेशन से ऋण (गैर योजना) | 15000.00 | 14853.00 | 99 |
| 32 | 18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता | 3456-00-001-01 मुख्यलाय प्रभार (गैर योजना) | 125.86 | 105.08 | 83 |
| 33 | | 3456-00-102-07 बी.पी.एल. परिवारों को उचित मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक का वितरण (योजना) | 1089.00 | 1089.00 | 100 |

| | | | | | |
|----|---|--|---------|---------|-----|
| 34 | | 3456-00-102-15 लेबी चीनी का वितरण (योजना) | 484.90 | 484.90 | 100 |
| 35 | | 3456-00-102-16 ए.पी.एल. योजना (योजना) | 265.80 | 268.50 | 100 |
| 36 | | 3456-00-102-17 केरोसिन के वितरण हेतु कमीशन (योजना) | 91.10 | 91.10 | 100 |
| 37 | | 3456-00-789-07 बी.पी.एल. परिवारों को उचित मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक का वितरण (योजना) | 485.60 | 485.60 | 100 |
| 38 | | 3456-00-789-15 लेबी चीनी का वितरण (योजना) | 216.30 | 216.30 | 100 |
| 39 | | 3456-00-789-16 ए.पी.एल. योजना (योजना) | 143.50 | 143.50 | 100 |
| 40 | | 3456-00-796-07 बी.पी.एल. परिवारों को उचित मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक का वितरण (योजना) | 2161.00 | 2161.00 | 100 |
| 41 | | 3456-00-796-08 ग्रामीण अन्न घर (योजना) | 158.14 | 128.53 | 81 |
| 42 | | 3456-00-796-16 ए.पी.एल. योजना (योजना) | 694.20 | 694.20 | 100 |
| 43 | | 3456-00-796-17 केरोसिन के वितरण हेतु कमीशन (योजना) | 121.04 | 121.04 | 100 |
| 44 | 19- वन एवं पर्यावरण विभाग | 2406-02-110-32 अन्य उद्यान- भगवान बिरसा जैविक उद्यान (सी.पी.एस. योजना) | 70.00 | 70.00 | 100 |
| 45 | | 2406-02-110-38 वन प्रबंधन का इन्टेनशीफीकेशन (सी.पी.एस. योजना) | 171.70 | 171.70 | 100 |
| 46 | 20-स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग | 2210-01-796-03 अन्य स्वास्थ्य सेवाएं (कुठ नियंत्रण कार्यक्रम) (सी.एस.एस. योजना) | 97.60 | 97.60 | 100 |
| 47 | | 2210-02-796-07 देसी आयुर्वेदिक साइंस निदेशालय - विभिन्न आयु सेक्टरों की स्थापना (योजना) | 58.00 | 58.00 | 100 |
| 48 | | 4210-01-110-01 सुपर स्पेसलिटी अस्पतालों हेतु प्राइवेट सेक्टरों को आसान ऋण (योजना) | 150.00 | 150.00 | 100 |
| 49 | | 4210-02-103-14 कम्युनिटी स्वास्थ्य सेंटर में मशीन तथा उपकरण सहित मोबाईल चलंत ईकाई स्थापना (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 50 | | 4210-02-110-31 सदर/उप प्रमंडलीय अस्पतालों के पुनरुत्थान एवं भवन (योजना) | 600.00 | 600.00 | 100 |
| 51 | | 4210-02-789-02 सदर/उप प्रमंडलीय अस्पतालों (मशीन उपकरण तथा औजार सहित) के पुनरुत्थान एवं भवन (योजना) | 250.00 | 250.00 | 100 |
| 52 | | 4210-02-789-03 सदर/उप प्रमंडलीय अस्पतालों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के | 400.00 | 400.00 | 100 |

| | | कार्यलय भवन का निर्माण (योजना) | | | |
|----|--|--|---------|---------|-----|
| 53 | 20-स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग | 4210-02-789-10 कम्प्यूनिटी स्वास्थ्य सेंटर में मशीन तथा उपकरण सहित मोबाईल चलंत ईकाई स्थापना (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 54 | | 4210-02-796-06 दुमका तथा चास में नये स्वास्थ्य कॉलेज अस्पताल की भवन की स्थापना (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 55 | | 4210-02-796-40 स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना भवन योजना | 1300.00 | 1038.72 | 80 |
| 56 | | 4210-02-796-46 कम्प्यूनिटी स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मशीन एवं उपकरणों सहित स्वास्थ्य ईकाई की स्थापना (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 57 | | 4210-03-105-04 ए.एन.एम. स्कूल भवन का निर्माण (योजना) | 250.00 | 250.0 | 100 |
| 58 | 22- गृह विभाग | 2055-00-104-01 माउंटेड मिलिट्री पुलिस (गैर योजना) | 119.06 | 119.06 | 100 |
| 59 | | 4055-00-207-16 नये उप कारागार का विकास एवं निर्माण (योजना) | 1150.00 | 1150.00 | 100 |
| 60 | | 4055-00-207-33 कारागार कर्मों के निवास का निर्माण (योजना) | 220.00 | 191.08 | 87 |
| 61 | | 4055-00-207-43 भवन निर्माण एवं पुलिस आधुनिकीकरण (योजना) | 1914.00 | 1914.00 | 100 |
| 62 | | 4055-00-796-46 कारागार निरीक्षणालय का निर्माण (योजना) | 50.00 | 50.00 | 100 |
| 63 | | 4055-00-796-67 भवन निर्माण एवं पुलिस आधुनिकीकरण (योजना) | 1691.00 | 1691.00 | 100 |
| 64 | | 4070-00-796-46 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म का क्रय (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 65 | 22- उद्योग विभाग | 2851-00-102-01 लघु उद्योगों के लिए प्लस्टर विकास योजना (योजना) | 400.00 | 400.00 | 100 |
| 66 | | 2852-80-102-03 खाद उद्यान/ज्ञान उद्यान की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण (सी.एस.एस) (योजना) | 437.00 | 437.00 | 100 |
| 67 | | 2852-80-102-07 ए.एस.आई.डी.ई. योजना हेतु राज्यांस (योजना) | 250.00 | 250.00 | 100 |
| 68 | | 2852-80-796-05 अधिग्रहित भूमि का विकास एवं भूमि अधिग्रहण (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 69 | 24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 2220-60-106-03 क्षेत्रीय प्रचार योजना हेतु सूचना भवन का निर्माण (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 70 | | 2220-60-796-03 क्षेत्रीय प्रचार योजना हेतु सूचना भवन का निर्माण (योजना) | 200.00 | 180.00 | 90 |
| 71 | 26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 2230-01-789-10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना) | 600.00 | 600.00 | 100 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---------|---------|-----|
| 72 | 26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 2230-01-789-12 बीड़ी मजदूरों हेतु घर का निर्माण(योजना) | 80.00 | 80.00 | 100 |
| 73 | | 2230-03-003-38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रसार(योजना) | 1080.85 | 900.52 | 83 |
| 74 | | 2230-03-796-38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रसार (योजना) | 1145.85 | 958.99 | 84 |
| 75 | 27- विधि विभाग | 2014-00-105-04 तेरहवी वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति (गैर योजना) | 219.26 | 219.26 | 100 |
| 76 | | 2014-00-105-05 तेरहवी वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में सुबह एवं शाम के कोर्ट का गठन (गैर योजना) | 1652.40 | 1652.40 | 100 |
| 77 | | 2014-00-105-06 तेरहवी वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में हेरीटेज कोर्ट भवन (गैर योजना) | 297.40 | 297.40 | 100 |
| 78 | 35- योजना एवं विकास विभाग | 2053-00-796-19 तेरहवी वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में जिला जिर्णोधर हेतु अनुदान (गैर योजना) | 280.00 | 280.00 | 100 |
| 79 | | 3454-02-205-02 तेरहवी वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में राज्य संख्यिकीय तंत्र के लिए अनुदान (गैर योजना) | 480.00 | 480.00 | 100 |
| 80 | | 3454-02-796-12 संख्यिकीय तंत्र का मजबूतीकरण (योजना) | 175.00 | 139.75 | 80 |
| 81 | 39- सहाय एवं पुनर्वास विभाग | 2245-02-113-02 बाढ़ से प्रभावित घरों का मरम्मत एवं पुनर्स्थापन (गैर योजना) | 2000.00 | 1912.88 | 96 |
| 82 | 40-राजस्व भूमि सुधार विभाग | 2029-00-102-06 सर्वे एवं सेट्टलमेंट कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोधर (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 83 | | 2029-00-103-01 भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण (सी.पी.एस) | 100.0 | 100.0 | 100 |
| 84 | 41- पथ निर्माण विभाग | 5054-03-052-06 मशीनरी एवं उपकरण (योजना) | 110.00 | 110.00 | 100 |
| 85 | 42- ग्रामीण विकास विभाग | 2505-02-101-05 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा एक्ट के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (योजना) | 405.00 | 405.00 | 100 |
| 86 | | 2505-02-789-05 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा एक्ट के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (योजना) | 120.00 | 120.00 | 100 |
| 87 | | 2505-02-796-05 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा एक्ट के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (योजना) | 475.00 | 475.00 | 100 |
| 88 | | 2515-00-102-28 आदर्श ग्राम योजना (योजना) | 720.00 | 720.00 | 100 |
| 89 | | 2515-00-102-29 ग्रामीण आवास योजना (योजना) | 360.00 | 360.00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|---------|-----|
| 90 | 42- ग्रामीण विकास विभाग | 2515-00-789-20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का मजबूतीकरण (योजना) | 50.00 | 50.00 | 100 |
| 91 | | 2515-00-789-28 आदर्श ग्राम योजना (योजना) | 240.00 | 240.00 | 100 |
| 92 | | 2515-00-789-29 ग्रामीण आवास योजना (योजना) | 120.00 | 111.10 | 93 |
| 93 | | 2515-00-796-20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का मजबूतीकरण (योजना) | 130.00 | 128.72 | 99 |
| 94 | | 2515-00-796-28 आदर्श ग्राम योजना (योजना) | 1040.00 | 1040.00 | 100 |
| 95 | | 2515-00-796-29 ग्रामीण आवास योजना (योजना) | 520.00 | 486.10 | 93 |
| 96 | | 4515-00-103-15 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम - भूमि अधिग्रहण एवं पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत पथ से जोड़ना (योजना) | 100.00 | 91.38 | 91 |
| 97 | 43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 2203-00-003-10 राष्ट्रीय ई गर्वनेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 98 | | 2203-00-112-02 ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का मजबूतीकरण योजना (योजना) | 101.12 | 88.59 | 87 |
| 99 | | 2203-00-789-61 तेरहवीं वित्त के अनुशांसा के आलोक में यूनिवर्सिटी आईडेंटिफिकेशन के अन्तर्गत बी.पी.एल. नामांकरण की सुविधा (योजना) | 232.00 | 232.00 | 100 |
| 100 | | 2203-00-796-21 ई गर्वनेंस- नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना) | 700.00 | 635.00 | 91 |
| 101 | | 2203-00-796-23 भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (ई खतियान) (योजना) | 609.00 | 609.00 | 100 |
| 102 | | 2203-00-796-42 संयुक्त क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अनुदान (योजना) | 182.00 | 182.00 | 100 |
| 103 | | 2203-00-796-44 सरकारी पॉलिटेकनीक-खनन संस्थाओं का सुदृढीकरण (डीप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना) | 65.00 | 52.37 | 81 |
| 104 | | 2203-00-796-56 ई-जिला (योजना) | 91.00 | 91.00 | 100 |
| 105 | | 2203-00-796-58 जे.ए.आई.पी.आई.टी. को अनुदान (योजना) | 75.00 | 75.00 | 100 |
| 106 | | 2203-00-800-40 ई गर्वनेंस- नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 107 | | 2203-00-800-44 भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (ई खतियान) (योजना) | 300.00 | 300.00 | 100 |
| 108 | | 2203-00-800-47 बाह्य संपोषित योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान (योजना) | 62.00 | 62.00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|----------|----------|-----|
| 109 | 43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 4202-02-105-06 तकनीकी शिक्षणा संस्थाओं का निर्माण - इजीनियरिंग कॉलेज/पॉलेटेकनिक/खनन संस्थाओं का जीर्णोधार एवं निर्माण (सी.पी.एस.) | 1000.00 | 980.86 | 98 |
| 110 | | 4202-00-789-07 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण- नये पॉलेटेकनीक का निर्माण एवं जीर्णोधार (योजना) | 560.40 | 560.40 | 100 |
| 111 | 46-पर्यटन विभाग | 3452-01-796-09 प्रबंधकीय अनुदान/सहायिकी/प्रोत्साहन आदि (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 112 | | 3452-01-104-03 प्रबंधकीय अनुदान/सहायिकी/प्रोत्साहन आदि (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 113 | | 5452-80-796-63 होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य फूड क्राफ्ट संस्थान, एडवेंचर टूरिज्म संस्थान तथा पर्यटन डेवलपमेंट ऑथरिटी को अनुदान (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 114 | 48- नगर विकास एवं आवास विकास | 2215-02-789-06 नगर स्थानीय निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुदान (योजना) | 170.00 | 170.00 | 100 |
| 115 | | 2217-80-191-05 शहरी स्थानीय निकायों के आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण, क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु सहायक अनुदान योजना | 1000.00 | 800.00 | 80 |
| 116 | | 4217-60-190- नदी सुरक्षा योजना अनुदान (सी.एस.एस. योजना) | 700.00 | 700.00 | 100 |
| 117 | | 4217-60-190-09 केन्द्र प्रायोजित एस. जे. एस. आर. वाई. को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना) | 2400.00 | 2400.00 | 100 |
| 118 | | 4217-60-190-14 जे.एन.एन.ओ.आर.एम. को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना) | 16500.00 | 15669.13 | 9 |
| 119 | | 4217-60-190-21 तलाव सुरक्षा कार्यक्रम हेतु सहाय अनुदान (योजना) | 700.00 | 700.00 | 100 |
| 120 | | 4217-60-190-31 समेकित अल्प लागत योजना हेतु सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना) | 1560.00 | 1560.00 | 100 |
| 121 | | 4217-60-190-32 आवेर्टस मोर्डनाइज्डरेशन सहाय अनुदान (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 122 | | 4217-60-191-02 पदोन्नति प्रचार, प्रिंटींग सेमिनार वर्क सॉप इत्यादि हेतु सहाय अनुदान (योजना) | 200.00 | 200.00 | 100 |
| 123 | | 4217-60-191-03 नगर प्रशासन का कम्प्यूटीकरण मोर्डनाइजेशन एवं सुदृढीकरण (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 124 | | 4217-60-191-06 केन्द्र प्रायोजित आई.एल.सी. को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 125 | | 4217-60-191-07 जे.एन.एन.यू.आर.एम. को सहाय अनुदान (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|----------|--------|
| 126 | 48- नगर विकास एवं आवास विकास | 4217-60-191-14 जे.एन.एन.यू.आर.एम.को सहाय अनुदान (योजना) | 5500.00 | 5400.00 | 98 |
| 127 | | 4217-60-789-14 जे.एन.एन.यू.आर.एम. को सहाय अनुदान (योजना) | 6000.00 | 6000.00 | 100 |
| 128 | | 4217-60-789-14 जे.एन.एन.यू.आर.एम. .को सहाय अनुदान (योजना) | 2000.00 | 2000.00 | 100 |
| 129 | | 4217-60-796-08 झारखण्ड नगर प्लानिंग संस्थान की स्थापना हेतु सहाय अनुदान (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 130 | | 4217-60-796-14 केन्द्र प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना .को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना) | 22500.00 | 21668.03 | 96 |
| 131 | | 4217-60-796-14 केन्द्र प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना .को सहाय अनुदान (योजना) | 7500.00 | 7100.00 | 95 |
| 132 | | 49-जल संसाधन विभाग | 2711-01-001-01 गंगा दाहिने किनारों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य (गैर योजना) | 100.00 | 100.00 |
| 133 | 4711-01-796-01 बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधक सिविल निर्माण कार्य (सी.एस.एस.योजना) | | 2400.00 | 1947.12 | 81 |
| 134 | 50-लघु सिंचाई विभाग | 4702-00-101-07 वाटर बोर्डिंग का पुर्नस्थापन कार्य (सी.एस.एस. योजना) | 300.00 | 300.00 | 100 |
| 135 | | 4702-00-101-07 वाटर बोर्डिंग का पुर्नस्थापन कार्य (योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 136 | | 4702-00-789-28 लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (ए.आई.बी.पी)(योजना) | 550.00 | 550.00 | 100 |
| 137 | | 4702-00-796-01 वाटर बोर्डिंग का पुर्नस्थापन कार्य (सी.एस.एस. योजना) | 300.00 | 300.00 | 100 |
| 138 | | 4702-00-796-03 रेशनालाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक (सी.एस.एस. योजना) | 120.00 | 120.00 | 100 |
| 139 | | 4702-00-796-07 वाटर बोर्डिंग का पुर्नस्थापन कार्य (सी.एस.एस. योजना) | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 140 | 51-कल्याण विभाग | 2225-01-789-22 बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण योजना (सी.पी.एस.) | 300.00 | 255.28 | 85 |
| 141 | | 2225-01-789-67 शिक्षा- विशर्ष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (योजना) | 500.00 | 500.00 | 100 |
| 142 | | 2225-02-796-04 जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम योजना (सी.पी.एस.) | 5976.06 | 4908.06 | 82 |
| 143 | | 2225-01-96-28 लाह विकास योजना (योजना) | 200.00 | 200.00 | 10 |
| 144 | | 2225-03-277-06 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (सी.पी.एस.) | 65.00 | 65.00 | 100 |
| 145 | | 2225-03-277-06 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (योजना) | 65.00 | 65.00 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------------|------------------|--------|
| 146 | 51-कल्याण विभाग | 2235-02-102-48 प्री स्कूल एडुकेशन योजना (सी.एस.एस.) | 322.93 | 322.93 | 100 |
| 147 | | 4225-01-789-02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य योजना (सी.एस.एस.) | 400.00 | 395.00 | 99 |
| 148 | | 4225-02-277-02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य योजना (सी.पी.एस.) | 150.00 | 150.00 | 100 |
| 149 | | 4225-02-277-04 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास जिर्णोद्वार (योजना) | 165.00 | 150.00 | 91 |
| 150 | | 4225-02-277-32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (सी.एस.एस) (योजना) | 50.00 | 50.00 | 100 |
| 151 | | 4225-02-796-02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य योजना (सी.एस.एस) (योजना) | 350.00 | 350.00 | 100 |
| 152 | | 4225-02-796-32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (सी.एस.एस) (योजना) | 150.00 | 150.00 | 100 |
| 153 | | 4225-80-796-11 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (सी.पी.एस.) (योजना) | 270.00 | 270.00 | 100 |
| 154 | | 4225-80-796-11 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (सी.एस. एस.) (योजना) | 106.22 | 106.22 | 100 |
| 155 | | 52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग | 2204-00-796-24 साहसिक खेल (योजना) | 100.00 | 100.00 |
| 156 | 4202-03-102-08 खेल विद्यालय (योजना) | | 130.00 | 130.00 | 100 |
| 157 | 4202-03-796-10 खेल सामग्री निर्माण की ईकाई (योजना) | | 300.00 | 300.00 | 100 |
| 158 | 4202-03-796-12 दुमका में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का निर्माण (योजना) | | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 159 | 4202-03-796-13 एन.सी.सी. प्रशासनिक भवन का निर्माण (योजना) | | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 160 | 4202-04-796-05 ललित कला एकाडमी रिजनल सेंटर (योजना) | | 100.00 | 100.00 | 100 |
| 161 | 4202-04-796-06 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण (योजना) | | 1500.00 | 1500.00 | 100 |
| 162 | 4202-04-796-07 हेरीटेज पार्क (योजना) | | 500.00 | 500.00 | 100 |
| कुल | | | 170614.56 | 165097.76 | |

परिशिष्ट 2.6

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि
(प्रत्येक मामलों में ₹ 50 लाख या अधिक)
(संदर्भ कंडिका 2.4.9 पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान एवं विनियोग का नाम एवं संख्या | कुल अनुदान/विनियोग | बचत | अभ्यर्पित राशि | आधिक्य अभ्यर्पित राशि |
|----------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| राजस्व दत्तमत | | | | | |
| 1 | 28- उच्च न्यायालय | 36.77 | 2.92 | 3.21 | 0.29 |
| 2 | 14- ऋणों की वापसी | 1544.08 | 244.65 | 258.34 | 13.69 |
| राजस्व मतदेय | | | | | |
| 3 | 18-खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग | 662.21 | 84.27 | 85.99 | 1.72 |
| 4 | 33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | 17.03 | 3.80 | 4.19 | 0.39 |
| 5 | 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 176.82 | 2.74 | 2.96 | 0.22 |
| 6 | 39-आपदा प्रबंधन विभाग | 570.51 | 42.09 | 42.29 | 0.20 |
| | कुल | 3007.42 | 380.47 | 396.98 | 16.51 |

परिशिष्ट 2.7

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो
अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.10 पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या | बचत | अभ्यर्पण | बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| राजस्व | | | | |
| 1 | कृषि विभाग | 181.21 | 75.88 | 105.33 |
| 2 | पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | 46.11 | 27.98 | 18.13 |
| 3 | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सहकारिता विभाग | 7.33 | 5.99 | 1.34 |
| 4 | ऊर्जा विभाग | 346.05 | 311.98 | 34.07 |
| 5 | वन एवं पर्यावरण विभाग | 68.35 | 35.91 | 32.44 |
| 6 | स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग | 178.41 | 143.02 | 35.39 |
| 7 | उच्च शिक्षा विभाग | 10.13 | - | 10.13 |
| 8 | गृह विभाग | 83.30 | 77.54 | 5.76 |
| 9 | उद्योग विभाग | 31.89 | 30.51 | 1.38 |
| 10 | श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 148.44 | 143.54 | 4.90 |
| 11 | खनन एवं भूतत्व विभाग | 5.69 | 4.23 | 1.46 |
| 12 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 27.94 | 15.18 | 12.76 |
| 13 | पथ निर्माण विभाग | 20.60 | 15.30 | 5.30 |
| 14 | ग्रामीण विकास विभाग | 156.55 | 115.91 | 40.64 |
| 15 | सेकेण्ड्री, प्राथमिक एवं लोक लेखा विभाग | 311.44 | - | 311.44 |
| 16 | परिवहन विभाग | 53.39 | 52.09 | 1.30 |
| 17 | शहरी विकास एवं आवास विभाग | 56.16 | 42.08 | 14.08 |
| 18 | जल संसाधन विभाग | 30.98 | 23.77 | 7.21 |
| 19 | लघु सिंचाई विभाग | 9.59 | 7.40 | 2.19 |
| 20 | कल्याण विभाग | 208.83 | 129.73 | 79.10 |
| 21 | खेल कुद कला संस्कृति एवं युवा विभाग | 12.83 | 6.51 | 6.32 |
| पूँजी | | | | |
| 1 | ऊर्जा विभाग | 132.57 | 98.57 | 34.00 |
| 2 | स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग | 86.61 | 78.52 | 8.09 |
| 3 | गृह विभाग | 101.74 | 87.26 | 14.48 |
| 4 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 1.60 | 0.06 | 1.54 |
| 5 | पथ निर्माण विभाग | 146.70 | 136.20 | 10.50 |
| 6 | ग्रामीण विकास विभाग | 236.62 | 128.12 | 108.50 |
| 7 | सेकेण्ड्री, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग | 5.62 | - | 5.62 |
| 8 | पर्यटन विभाग | 14.50 | 12.50 | 2.00 |
| 9 | परिवहन विभाग | 2.97 | - | 2.97 |
| 10 | शहरी विकास एवं आवास विभाग | 657.39 | 654.37 | 3.02 |
| 11 | जल संसाधन विभाग | 153.71 | 106.12 | 47.59 |
| 12 | लघु सिंचाई विभाग | 29.80 | 27.42 | 2.38 |
| 13 | कल्याण विभाग | 109.52 | 95.07 | 14.45 |
| | कुल | 3674.57 | 2688.76 | 985.81 |

परिशिष्ट 2.8

30 और 31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से
अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले
(संदर्भ कंडिका 2.4.10 पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान सं. | मुख्य शीर्ष | अभ्यर्पित राशि | कुल प्रावधान का प्रतिशत |
|----------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | 2415-80-796-04 | 12.05 | 34.43 |
| 2 | 9 | 2425-00-796-27 | 14.76 | 93.42 |
| 3 | 9 | 2425-00-796-28 | 14.41 | 24.72 |
| 4 | 10 | 2801-01-796-02 | 23.73 | 54.59 |
| 5 | 10 | 2801-01-800-02 | 27.95 | 54.61 |
| 6 | 10 | 2801-05-796-01 | 13.68 | 100.00 |
| 7 | 10 | 2801-05-800-01 | 16.11 | 100.00 |
| 8 | 10 | 6801-00-796-01 | 13.68 | 100.00 |
| 9 | 10 | 6801-00-800-01 | 16.11 | 100.00 |
| 10 | 10 | 6801-00-800-05 | 40.00 | 44.44 |
| 11 | 13 | 2049-01-200-08 | 11.37 | 26.21 |
| 12 | 14 | 6003-00-109-01 | 107.69 | 53.82 |
| 13 | 14 | 6003-00-109-08 | 148.53 | 99.02 |
| 14 | 19 | 2406-01-105-38 | 11.65 | 61.54 |
| 15 | 20 | 2211-00-101-01 | 97.76 | 65.18 |
| 16 | 22 | 2055-00-115-67 | 39.20 | 78.40 |
| 17 | 22 | 4055-00-207-16 | 11.50 | 100.00 |
| 18 | 22 | 4055-00-207-43 | 19.14 | 100.00 |
| 19 | 22 | 4055-00-211-01 | 25.06 | 30.24 |
| 20 | 22 | 4055-00-796-67 | 16.91 | 100.00 |
| 21 | 27 | 2014-00-105-05 | 16.52 | 100.00 |
| 22 | 36 | 4215-01-102-08 | 12.71 | 21.46 |
| 23 | 39 | 2245-01-101-07 | 10.94 | 36.47 |
| 24 | 39 | 2245-02-113-02 | 14.13 | 70.65 |
| 25 | 41 | 5054-03-101-01 | 18.17 | 71.68 |
| 26 | 41 | 5054-03-337-01 | 26.37 | 19.23 |
| 27 | 41 | 5054-03-796-01 | 33.91 | 8.13 |
| 28 | 41 | 5054-03-796-08 | 45.72 | 30.48 |
| 29 | 42 | 2505-02-796-04 | 16.30 | 21.02 |
| 30 | 42 | 2515-00-796-28 | 10.40 | 100.00 |
| 31 | 42 | 4515-00-103-07 | 63.80 | 38.43 |
| 32 | 42 | 4515-00-789-04 | 10.15 | 46.14 |

| | | | | |
|------------|----|----------------|----------------|--------|
| 33 | 42 | 4515-00-796-04 | 44.68 | 25.10 |
| 34 | 47 | 3055-00-190-01 | 52.09 | 68.57 |
| 35 | 48 | 4217-60-190-09 | 24.00 | 100.00 |
| 36 | 48 | 4217-60-190-14 | 156.69 | 94.96 |
| 37 | 48 | 4217-60-190-31 | 15.00 | 100.00 |
| 38 | 48 | 4217-60-789-14 | 60.00 | 100.00 |
| 39 | 48 | 4217-60-796-14 | 216.68 | 96.30 |
| 40 | 49 | 4711 01 796 01 | 19.47 | 81.13 |
| 41 | 51 | 2225-02-796-04 | 49.08 | 82.13 |
| 42 | 51 | 4225-02-796-08 | 34.09 | 29.48 |
| 43 | 51 | 4225-02-796-12 | 39.81 | 35.54 |
| कुल | | | 1672.00 | |

परिशिष्ट 2.9

वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की वेग
(संदर्भ कडिका 2.4.11 पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान की सं. एवं नाम | शीर्ष | जनवरी से मार्च 2011 तक व्यय | मार्च 2011 में व्यय | कुल व्यय | प्रतिशत सकल | |
|----------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|----------|------------------|------------|
| | | | | | | जनवरी मार्च 2011 | मार्च 2011 |
| 1 | 6 -निर्वाचन | 2015 | 14.84 | 11.67 | 22.99 | 64.69 | 50.76 |
| 2 | 35-योजना एवं विकास विभाग | 5053 | 107.04 | 84.36 | 186.29 | 59.37 | 45.28 |
| 3 | 43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 2203 | 50.05 | 37.69 | 71.97 | 71.97 | 52.36 |
| 4 | 48-नगर विकास एवं आवास विभाग | 2217 | 72.12 | 58.28 | 140.26 | 51.00 | 41.55 |
| 5 | 26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 2225 | 311.23 | 209.28 | 436.33 | 71.00 | 47.96 |
| 6 | 26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 2230 | 103.03 | 80.80 | 133.75 | 77.00 | 60.41 |
| 7 | 1-कृषि विभाग | 2401 | 142.62 | 118.82 | 177.73 | 80.00 | 66.85 |
| 8 | 1-कृषि विभाग | 2402 | 37.29 | 34.74 | 46.05 | 80.00 | 75.44 |
| 9 | 2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | 2403 | 49.57 | 28.81 | 88.79 | 55.82 | 32.44 |
| 10 | 2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | 2404 | 43.49 | 37.38 | 54.00 | 80.00 | 69.22 |
| 11 | 9-सहकारिता विभाग | 2425 | 137.47 | 31.03 | 157.00 | 87.52 | 19.76 |
| 12 | 42-ग्रामीण विकास विभाग | 2501 | 30.73 | 22.54 | 49.80 | 61.70 | 45.26 |
| 13 | 42-ग्रामीण विकास विभाग | 2505 | 240.37 | 200.93 | 335.15 | 71.72 | 59.95 |
| 14 | 42-ग्रामीण विकास विभाग | 2515 | 995.28 | 741.81 | 1293.33 | 76.95 | 57.36 |
| 15 | 47-परिवहन विभाग | 3055 | 16.37 | 15.58 | 23.88 | 68.00 | 65.24 |
| 16 | 22-गृह विभाग | 4055 | 53.70 | 51.50 | 69.96 | 76.75 | 73.61 |
| 17 | 43-विभाग एवं प्रावैधिकी विभाग | 4202 | 41.52 | 40.25 | 54.20 | 76.60 | 74.26 |
| 18 | 48-नगर विकास एवं आवास विभाग | 4217 | 19.59 | 19.59 | 21.70 | 90.28 | 90.28 |
| 19 | 9-सहकारिता विभाग | 4225 | 155.64 | 107.02 | 187.53 | 82.00 | 57.07 |
| 20 | 47-परिवहन विभाग | 5075 | 174.16 | 174.16 | 300.16 | 58.02 | 58.02 |

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र
(संदर्भ कंडिका 3.1, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

| विभाग | वर्ष 2009-10 तक (2008-09 तक अनुमोदित की जी.आई.ए.) | | वर्ष 2010-11 के दौरान (2009-10 तक अनुमोदित जी.आई.ए.) | | बकाया उ.प्र.प. की संख्या | |
|------------|---|----------------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| उद्योग | 175 | 843.61 | 28 | 200.71 | 203 | 1044.32 |
| पशुपालन | 60 | 16.35 | 05 | 4.80 | 65 | 21.15 |
| सहकारिता | 42 | 130.59 | 09 | 9.55 | 51 | 140.14 |
| स्वास्थ्य | 05 | 3.27 | 06 | 87.05 | 11 | 90.32 |
| कल्याण | 124 | 85.55 | 35 | 7.36 | 159 | 92.91 |
| कृषि | 05 | 2.60 | 55 | 47.88 | 60 | 50.48 |
| भू-राजस्व | 02 | 0.63 | 01 | 0.21 | 03 | 0.84 |
| शिक्षा | 168 | 1296.59 | 76 | 297.49 | 244 | 1594.08 |
| शहरी विकास | 1806 | 500.77 | 1006 | 266.42 | 2812 | 767.19 |
| अन्य | 280 | 912.07 | 154 | 456.17 | 434 | 1368.24 |
| कुल | 2667 | 3792.03 | 1375 | 1377.64 | 4042 | 5169.67 |

परिशिष्ट 3.2

दुर्विनियोग एवं घाटों के मामलों का विभागवार ब्यौरा
(संदर्भ कंडिका 3.3, पृष्ठ 46)

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 5 वर्ष तक | 5 से 10 वर्ष तक | मामलों की संख्या | राशि (₹ लाखों में) |
|---------|---------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1 | पथ निर्माण विभाग | 1 | 1 | 2 | 126.40 |
| 2 | ग्रामीण विकास विभाग | 2 | 1 | 3 | 16.22 |
| 3 | कृषि विभाग | 1 | 1 | 2 | 5.49 |
| 4 | जल संसाधन विभाग | 1 | - | 1 | 5.00 |
| | कुल | 5 | 3 | 8 | 153.11 |

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान, गणना के आधार एवं शब्दावलियों की सूची

| शब्दावली | गणना का आधार |
|--|--|
| प्राचलन की उत्प्लावकता | प्राचलन की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि |
| अन्य प्राचलन के संबंध में प्राचलन की उत्प्लावकता (x) | प्राचलन की वृद्धि दर (x)/प्राचलन की वृद्धि दर |
| वृद्धि की दर (वृ.द.) | $[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$ |
| विकास व्यय | सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ |
| राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज | ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100 |
| ब्याज विस्तार | स.रा.घ.उ.वृद्धि दर – औसत ब्याज दर |
| प्रमात्रा विस्तार | संचित ऋण* ब्याज विस्तार |
| बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज | प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष) /2]*100 |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निबल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ |
| प्राथमिक घाटा | राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान |
| वर्तमान राजस्व से शेष बी.सी.आर.) | राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिदार की कमी के लिए विनियोग के अंतर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़ कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय |
| ऋण धारणीयता | किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः : चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिस्फुनी की प्रचूरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निपादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है। |
| ऋण स्थिरीकरण | ऋण स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर और लोक उधार से अधिक हो, ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्रारंभिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या मध्यम रूप में ऋणात्मक हो। दिए हुए दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) पर ऋण स्थिरिकरण की शर्त के अनुसार यदि क्वांटम विस्तार प्राथमिक ऋण के साथ हो तो कर्ज स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जाएगा। |

| | |
|----------------------------------|---|
| गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता | राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो। |
| उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता | सकल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है। |
| विनियोग लेखे | विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानो एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानो या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगो के अन्तर्गत अनुदानो से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है। |
| स्वायत्त निकायो | स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं संविधिक निगमो) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलंदाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं। |
| बचन बद्ध व्यय | राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है। |
| राज्य कार्यान्वयन योजना | राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि। |
| आकस्मिकता निधि | विधान मण्डल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है एवं समय-समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मण्डल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है। |
| राज्य के समेकित निधि | भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है। |
| आकस्मिकता देयता | आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस |
| शोधन निधि | एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है। |

| | |
|------------------------------|---|
| गारंटी विमोचन निधि | गारंटियाँ ऋणदाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है जिसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5 वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है। |
| आंतरिक ऋण | आंतरिक ऋण में भारत के लोगो से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्रहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है। |
| प्राथमिक राजस्व व्यय | प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान को छोड़कर से है। |
| पुनर्विनियोग | पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक ईकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के ईकाई में निधियों के स्थानांतरण से है। |
| अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण | राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। |
| पूरक अनुदान | संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115 (1) के उपबन्धों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है। |
| उच्चन्त एवं विविध | प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदे जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उच्चन्त लेखा, क्षेत्र में उच्चन्त एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मागदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उच्चन्त लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए। |
| लोक लेखा समिति | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो संवीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मण्डल द्वारा गठित एक समिति है। |

| परिवर्णी शब्द | पूरा नाम |
|------------------|---|
| ए.सी. बिल | संक्षिप्त आकस्मिक बिल |
| ए.ई. | समस्त व्यय |
| बी. ई. | बजट प्राक्कलन |
| सी.ए.जी. | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक |
| सी.ई. | पंजीगत व्यय |
| डी.सी.सी. बिल | विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय |
| डी.सी.आर.एफ. | ऋण समेकन और राहत सुविधा |
| डी.ई. | विकासात्मक व्यय |
| एफ.सी.पी. | राजकोषीय सुधार पथ |
| जी.ओ.आई. | भारत सरकार |
| जी.एस.डी.पी. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
| एफ.आर.बी.एम. | बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 |
| आई.पी. | ब्याज भुगतान |
| एम.टी.एफ.पी.एस. | मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान |
| ओ.एण्ड एम. | प्रचालन एवं अनुरक्षण |
| पी.ए.सी. | लोक लेखा समिति |
| आर.ई. | राजस्व व्यय |
| आर.आर. | राजस्व प्राप्तियों |
| एस.एण्ड डब्ल्यू. | वेतन और मजदूरियाँ |
| एस.ए.आर. | पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन |
| एस.एस.ई. | सामाजिक क्षेत्रगत व्यय |
| टी.ई. | कुल व्यय |
| टी.एफ.सी. | बारहवें वित्त आयोग |
| यू.सी. | उपयोगिता प्रमाणपत्र |
| भी.ए.टी. | मूल्य वृद्धि कर |